भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-643
दिनांक 6 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

बैटरी स्वैपिंग स्टेशन

643. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास इसका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन दिशानिर्देशों को लागू करने और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने की कोई रणनीति है ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की रणनीतिक स्थापना सुनिश्चित की जा सके:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) सरकार बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका को किस रूप मे देखती है;

(च) क्या सरकार बिजली को आम लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक मानती है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा 2025 तक लोगों के चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास दिनांक 27 जनवरी, 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 2611 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बीएसएस) स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य-वार विवरण **अनुबंध** पर है।

(ख) : बीएसएस की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10 जनवरी 2025 को जारी बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना और प्रचालन संबंधी अपने दिशानिर्देशों में राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और प्रमुख सड़कों के दोनों किनारों पर और शहरी क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट अनुसार बीएसएस स्थापित करने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10 जनवरी, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से "बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश" जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश बीएसएस के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के विकास की सुविधा के लिए मानकों और प्रोटोकॉल को रेखांकित करते हैं। राज्य सरकारों को शामिल करते हुए इन दिशानिर्देशों को लागू करने वाली प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) ऊर्जा के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति, जिसमें परिवहन, नगर प्रशासन और शहरी विकास के सचिव तथा अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं, राज्य स्तर पर बीएसएस अवसंरचना के कार्यान्वयन की योजना बनाएगी और उसकी निगरानी करेगी।

(ii) प्रत्येक राज्य बीएसएस के लिए विद्युत कनेक्शन की सुविधा हेतु डिस्कॉम और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार एक राज्य नोडल एजेंसी को नामित करेगा।

(iii) विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय संचालन समिति, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सदस्य, राज्यों के प्रतिनिधि, बीईई और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) शामिल हैं, समय-समय पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।

(iv) दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए बीईई, डिस्कॉम और राज्य सरकार की संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगी।

(ङ) : दिशा-निर्देशों में बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की भूमिका पर जोर दिया गया है। बीएसएस की स्थापना को गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि के रूप में नामित किया गया है, जिससे व्यवसायों के लिए प्रक्रिया सरल हो गई है।

किफायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया है कि सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं को 1 रू. प्रति किलोवाट घंटे की दर से राजस्व-साझाकरण मॉडल पर सार्वजनिक भूमि उपलब्ध कराई जाए। निजी संस्थाओं के लिए 1 रू. प्रति किलोवाट घंटा की न्यूनतम कीमत पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बीएसएस की स्थापना के लिए सरकारी भूमि से जुड़ी सार्वजनिक निविदाओं को प्रौद्योगिकी से अलग रखने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकारों को बीएसएस के लिए चौबीसों घंटे प्रचालन की अनुमति देने की सलाह दी गई है।

(च) और (छ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। लोगों को चौबीसों घंटे विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

1. देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 462 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 230 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता की स्थिति में पहुंच गया है।

2. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी को सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करनी होगी। हालाँकि, आयोग कृषि जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे विनिर्दिष्ट कर सकता है।

3. विद्युत संसाधनों का अनुकूलन करने और पर्याप्त उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिसंबर, 2022 में विनियमों को अधिसूचित किया, जिसके बाद जून 2023 में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दीर्घकालिक राष्ट्रीय संसाधन पर्याप्तता योजना (एलटी-एनआरएपी) तैयार करने का आदेश दिया गया है, जिसमें न्यूनतम लागत पर राष्ट्रीय मांग को पूरा करने हेतु अगले दशक के लिए बेहतर उत्पादन मिश्रण की रूपरेखा तैयार की गई है। सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी **"संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)"** तैयार की हैं, जो गतिशील 10 वर्षीय रोलिंग प्लान हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय योजना भी शामिल है।

4. डिस्कॉम की परिधि में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, अंतर-राज्यीय और अंत: राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के समय-सीमा के अनुरूप इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

5. भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है। इन स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और सौभाग्य के दौरान 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया।

6. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस स्कीम के तहत वितरण यूटिलिटी के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है।

7. भारत सरकार आरडीएसएस की मौजूदा स्कीम के तहत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता दे रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिन्हित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत जनजातीय घरों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है।

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत कार्यों में ये भी शामिल हैं -

(क) पीएम-जनमन के अंतर्गत चिन्हित पीवीटीजी घरों और डीए-जेजीयूए के अंतर्गत चिन्हित आदिवासी घरों सहित 9,97,680 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,535 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत वितरण अवसंरचना के विस्तार के लिए 1,067 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे बढ़कर क्रमशः 21.9 घंटे और 23.4 घंटे हो गए हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 643

अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थापित बीएसएस

क्रम सं.	राज्य	बीएसएस की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2
2	बिहार	48
3	दिल्ली	878
4	हरियाणा	171
5	कर्नाटक	347
6	केरल	20
7	मध्य प्रदेश	2
8	महाराष्ट्र	24
9	ओड़ीशा	2
10	पंजाब	22
11	राजस्थान	104
12	तेलंगाना	146
13	उत्तर प्रदेश	839
14	उत्तराखंड	5
15	पश्चिम बंगाल	1
कुल		**2,611**

****